

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

SIL - 11/2014



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

No. ECR/Vig /System Improvement/50

Dated:- 07.03.2014

मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर

विषय :- मुख्यालय स्तर पर औषधियों के क्रय के संबंध में ।

दिनांक 21.11.2013 को आपके कार्यालय में सतर्कता दल के द्वारा Tab ofloxacin 200 mg & Inj. Cefotaxime sodium 1 gm के क्रय के संबंध में जाँच की गई। जाँच के दरम्यान यह तथ्य प्रकाश में आया कि: - (i) रेलवे बोर्ड के पत्र सं०- 2012/H/4/1/2 दिनांक 05.11.12 के निर्देशानुसार, दवाओं की खरीद से संबंधित terms and conditions में Para 5.0 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को यह सत्यापित करना होगा कि जिस manufacturing unit का product वो ऑफर कर रहे हैं, उसका inspection रेलवे द्वारा किया गया है तथा उन्हें fit पाया गया है।

Tab Ofloxacin 200 mg के लिए L1 firm ने N. Rly का Inspection certificate लगाया है, परन्तु accepting authority द्वारा इसकी प्रामाणिकता नहीं जाँची गई। Inj. Cefotaxime sodium 1 gm के लिए L1 firm ने tender condition के Para 5.0 को comply करने की बात कही है लेकिन कोई certificate attach नहीं किया है। इन फर्मों के ऑफर को दवाओं का क्रयादेश जारी करने के लिए consider किया गया।

Tender condition के para 5.0 के compliance के लिए सभी manufacturing firm का Rly के द्वारा किया गया inspection certificate अपने ऑफर के साथ लगाने के लिए कहा जाए, तथा inspection certificate की प्रामाणिकता की भी जाँच की जाए ।

(ii) जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि दोनों दवाओं की खरीद LT के माध्यम से की गई है लेकिन Tender enquiry को पूमरे के website पर upload नहीं किया गया।

Ministry of Finance के OM No.10/1/2011-PPC दिनांक: 30.11.11 के अनुसार सभी tenders, corrigendum, contracts, agreements, amendments, आदि CPP के Portal पर Upload किए जाने चाहिए। इसके लिए भंडार नियंत्रक कार्यालय, हाजीपुर द्वारा पूमरे के सभी विभागाध्यक्षों सहित मुचिनि/हाजीपुर को तथा सभी मरेप्र को User Id और password भी दिए गये हैं।

अतः दवाओं की खरीद से संबंधित limited tenders को E.C.Rly. के website पर upload कराने का दिशा निर्देश जारी कर इसे सुनिश्चित कराया जाए।

(iii) दवाओं की खरीद e-tender के माध्यम से करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(महेश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता